उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 –46/2025

विनोद तिवारी............................वादी।

बनाम्

संतोष तिवारी वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

29.01.2026 वादी की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 20.01.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि प्रतिवादी सं0 06 जितेन्द्र तिवारी की मृत्यु दिनांक 04.10.2025 को हो चुकी है इनके कानूनी वारीसान चंद्रावती देवी, संतोषी कुमारी तथा एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम नहीं पता है, के नाम को प्रतिस्थापित करने तथा मृत प्रतिवादी सं0 06 जितेन्द्र तिवारी का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय। अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उक्त आवेदन पर अनापत्ति दर्ज किये है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उक्त आवेदन पर अनापत्ति दर्ज किये है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 20.01.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। मृत प्रतिवादी सं0 06 जितेन्द्र तिवारी का नाम कलमजद करते हुए प्रतिवादी सं0 06 जितेन्द्र तिवारी के वारीसान चंद्रावती देवी, संतोषी कुमारी तथा एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम नहीं पता है, का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतू अग्रिम कार्यवाही करें।

दिनांक– 13.04.2026 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)